मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 1998 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 7 अगस्त, 1998 (श्रावण 16, 1920)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन उल्लेख

श्री लखन लाल गुप्ता, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा के निधन का उल्लेख.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड का दिनांक 31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

(2) श्री हरवंश सिंह, गृह मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का पन्द्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 1995-96 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री जालम सिंह पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-20-95-बाईस-पं.2, दिनांक 31 जुलाई, 1998 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री गणपत सिंह उइके, राज्यमंत्री, आदिम जाति कल्याण, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के वर्ष 1994-95 के ऑडिटेड लेखा एवं वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री दयाल सिंह तुमराची, सदस्य, मण्डला जिले के ग्रामों में उचित मूल्य की दुकानों से सामग्री का प्रदाय न होने की ओर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री बच्चन नायक, सदस्य, रायसेन जिले में विभागीय फलोद्यान योजना में अनियमितता होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) डॉ. सीतासरन शर्मा, सर्वश्री बच्चन नायक, ईश्वरदास रोहाणी, सदस्य, आयुध निर्माण फैक्ट्री के कर्मचारियों पर वृत्तिकर लगाये जाने की ओर वाणिज्यिक कर (विक्रयकर) मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री लक्ष्मणसिंह गौड़, कैलाश विजयवर्गीय, लालचन्द मित्तल, सदस्य, इन्दौर शहर में स्थित श्मशान भूमि का अवैधानिक आबंटन किये जाने की उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री कैलाश जोशी, सदस्य, देवास जिले के नगर पंचायत सतवास के अध्यक्ष को अवैधानिक रूप से पद से हटाये जाने की ओर स्थानीय शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री विट्ठलराव महाले, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के सौसर क्षेत्र की बिछुआ-खमारपानी सरवनी-लोधीखेड़ा मार्ग की हालत जर्जर होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) सर्वश्री बच्चन नायक, ईश्वरदास रोहाणी, रामलखन सिंह (त्यौंथर), सदस्य, कटनी जिले में स्थापित ए.सी.सी. रिफेक्ट्री उद्योग में श्रमिकों के हितों की उपेक्षा किये जाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के करेली नगर में कन्या शाला की भूमि पर शापिंग काम्पलेक्स का निर्माण होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.